न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास एम.आर. बागडिया, आर.ए.एस
प्रकरण सं. 158/12/दावा/आवेदन 7 नियम 11 सीपीसी
मोहनलाल आदि बनाम छीतर आदि

दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
आवेदन अं.आदेश 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी

उपस्थिति–
1. श्री मूलचन्द धायल वकील प्रतिवादी सं. 3/प्रार्थी की ओर से
2. श्री आनन्द राड़ वकील जवाबदातागण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 31.01.2014

1. वकील प्रतिवादी सं. 3/प्रार्थी ने आवेदन अं.आदेश 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त उनवानी वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसमें आज दिनांक 06.09.2012 तक के खातेदार काबिज खरीददार को पक्षकार बनाया जाना अं.आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के तहत आवश्यक है लेकिन उक्त वाद के खातेदार से जरिये विकय पत्र खरीद करने के उपरान्त विधि अनुसार प्राप्त कब्जाधारी श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री बेगाराम व श्रीमती विमलादेवी पत्नी रूघाराम निवासी पचार को पक्षकार नहीं बनाया गया है जो आज दिनांक 06.09.2012 को खातेदार प्रतिवादी सं. 1 के संपूर्ण हिस्से व प्रतिवादी सं. 3 के 0.05 है. हिस्से की संपदा कय कर प्रतिवादी सं. 1 व 3 के द्वारा पूर्व खातेदारों से वर्ष 1978 में बाहमी बंटवारा के अनुसार कब्जा खातेदारों विकेताओं द्वारा श्रीमती लाडादेवी व बिमलादेवी को संभलाया गया है सिजकी जानकारी वादीगण को होते हुए भी दावे में जान बुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही आवश्यक पक्षकार के अभाव में अं.आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के अन्तर्गत विधि विरूद्ध होने के कारण अं.आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत आज की तारीख में चलने योग्य नहीं है। इसलिए उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 1 को आज दिनांक 06.09.2012 को जिस प्रकार पक्षकार बनाया गया है, कुसंयोजन है, क्योंकि उक्त वादग्रस्त संपदा में उक्त प्रतिवादी का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 1 अपना संपूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं. 3 को 0.05 है0 को जरिये विकय पत्र दिनांक 09.08.2012 को केतागण श्रीमती लाडादेवी पत्नी बेगाराम व श्रीमती विमला देवी पत्नी रूघाराम जाति जाट निवासीगण कुशालपुरा जिनकी खातेदारी जरिये ना.करण सं. 17 दिनांक 212.08.2012 को हो चुकी है जिनको अभी तक पक्षकार नहीं बनाया गया है। बाहमी बंटवारा के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा अपने संपूर्ण हक हिस्से व प्रतिवादी सं. 3 के द्वारा 0.05 है. का कब्जा केतागण को संभला दिया है। इसके बावजूद भी प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक हिस्सा नहीं रहते हुए भी पक्षकार बनाया गया है। जो सिविल प्रकिया संहिता आदेश 1 नियम 9 के तहत पक्षकारान के कुसंयोजन की तारीफ में आता है जिनको पक्षकार से हटाया जावें तथा प्रतिवादी सं. 1 के हक हिस्से के स्थान पर उसके केत्रियों श्रीमती लाडादेवी व बिमलादेवी को पक्षकार नहीं बनाने के कारण सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

9 के परन्तुक के तहत पक्षकारों के असंयोजन से ग्रसित होने के कारण वाद आज की तारीख में खारिज यिका जाना प्रार्थनीय है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों से ग्रसित होने के कारण विधि विरूद्ध है, इसलिए आवेदन अं.आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज किया जाना प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पेश होने पर आवेदन की प्रति वकील वादीगण को दिलाई गई। आवेदन का जवाब पेश किया कि आवेदन की मद सं. 1 जिसस तरह से वर्णित है, गलत है, स्वीकार नहीं है। वादीगण का उक्त वाद सिर्फ बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का है। जिस बाबत वादीगण ने दिनांक 08.08.2012 की ताजा निकलवाई हुई नकलों के आधार पर बंटवारा का दावा सभी खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए पेश किया था। आवेदन व प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण द्वारा नकल निकलवाने के बाद विक्रय पत्र लाडादेवी व बिमलादेवी के नाम तस्दीक करवाकर केवियट माननीय न्यायालय में पेश कर दी जिसकी वजह से वादीगण को एक्स पार्टी स्टे भी नहीं मिल सका तथा बाद में आवेदक ने उक्त आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश कर दिया व आवेदक को स्थगन दिये जाने का विरोधा किया जिस पर माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर वाद में वर्णित आराजियात के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश जारी किये तथा उक्त आराजियात में नये खरीदशुदा पार्टियों लाडादेवी व बिमलादेवी को आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार बनाये जाने का भी आदेश दिया है। जिसकी अनुपालना में वादीगण ने उक्त क्यकतीण को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन भी माननीय न्यायालय में पेश कर दिया है। इस प्रकार आवेदकगण ने आवेदन कतई गलत रूप से पेश किया है। आवेदन की मद सं. 2 जिस तरह से वर्णित है, गलत है। स्वीकार नहीं है। आवेदक ने आवेदन में तथ्यों को कतई गलत तरी से तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आवेदक का आवेदन प्रथमदृष्टया ही मय हर्जा खर्चा सहित खारिज होने योग्य है। आवेदक को किन्हीं दूसरे पक्षकारों की तरफ से बोलने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि आवेदक का आवेदन आदो 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रतिवादी सं. 3/प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि उनवानी वाद बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है जिसमें खातेदार काबिज खरीददार को पक्षकार बनाया जाना सीपीसी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है लेकिन खरीददार लाडादेवी व बिमलादेवी को पक्षकार नहीं बनाया गया है जिसकी जानकारी वादीगण को होते हुए भी दावे में जान बुझकर पक्षकार नहीं बनाया गया है और न ही आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का आवेदन लम्बित है। इसलिए वाद आवश्यक पक्षकार के अभाव में अं.आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के अन्तर्गत विधि विरूद्ध होने के कारण अं.आदेश 7 नियम 11(घ) सीपीसी के तहत चलने योग्य नहीं है। इसलिए उक्त वाद खारिज किये जाने योग्य है। इसके विपरीत वकील जवाबदाता/वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि वाद दायरी दिनांक 08.08.2012 के समय सभी खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए पेश किया था। आवेदक व प्रतिवादी सं. 1 ने वादीगण द्वारा नकल निकलवाने के बाद विक्रय पत्र लाडादेवी व बिमलादेवी के नाम तस्दीक करवाकर केवियट माननीय न्यायालय में पेश कर दी तथा बाद में आवेदक ने उक्त आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का पेश कर दिया। आराजियात में नये खरीदशुदा लाडादेवी व बिमलादेवी को आदेश 1 नियम 9

खण्ड अधिकारी

सीपीसी के तहत पक्षकार बनाये जाने का आदेश किया है जिसकी पालना में वादीगण ने उक्त खरीददारों को पक्षकार बनाने हेतु आवेदन पेश कर दिया है इस प्रकार आवेदकगण ने उक्त आवेदन कतई गलत आधारों पर पेश किया गया है जो खारिज योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के योग्य अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा दिनांक 08.082012 को यह दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में पेश किया गया तथा वाद के साथ टीआई पेश की गई थी। वकील प्रतिवादी सं. 3/प्रार्थी द्वारा दिनांक 08.08.12 को केवियट पेश की गई थी। दिनांक 13.09.12 को बाद बहस अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा अंतरिम रूप से मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया गया था तथा यह भी निर्देशित किया गया था कि प्रार्थीगण आवेदन 1 नियम 10 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत कर केतागण को पक्षकार संयोजित करें। उक्त आदेशिका दिनांक 13.09.2012 की पालना में वकील वादीगण द्वारा दिनांक 17.09.2013 को यानि एक साल बाद आवेदन 1 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया है। पक्षकार के कुसंयोजन के बाबत वकील प्रतिवादी सं. 3 द्वारा दिनांक 06.09.2012 को ही आवेदन अं.आदेश 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का आवेदन पेश कर चुके थे। वकील वादीगण को चाहिए था कि आराजियात के विक्रय पत्र की जानकारी होते ही क्रयकर्ता को पक्षकार संयोजित करन चाहिए था लेकिन जानकारी के एक साल तक आवेदन पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में जानकारी के बावजूद एक साल तक क्रयकर्ताओं को पक्षकार दावे में जान बुझकर नहीं बनाया गया है। आवश्यक पक्षकार के अभाव में अं.आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के अन्तर्गत विधि विरूद्ध होने के कारण अं.आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत दावा चलने योग्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी सं. 3/प्रार्थी का आवेदन अं.आदेश 1 नियम 9 सीपीसी एवं अं.आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी स्वीकार कर वाद वादीगण आवश्यक पक्षकार के अभाव में अं.आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के तहत विधि विरूद्ध होने के कारण अं.आदेश 7 नियम 11 सीपसी के तहत चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

5. यह आदेश आज दिनांक 31.01.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.आर. बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास एम.आर. बागड़िया, आर.ए.एस
प्रकरण सं. 158/12/दावा/आवेदन 7 नियम 11 सीपीसी
मोहनलाल आदि बनाम छीतर आदि

दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
आवेदन अं.आदेश 1 नियम 9 व आदेश 7 नियम 11 (घ) सीपीसी

उपस्थिति–
1. श्री मूलचन्द धायल वकील प्रतिवादी सं. 3/प्रार्थी की ओर से
2. श्री आनन्द राड़ वकील जवाबदातागण/वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक– 31.01.2014

(एम.आर. बागड़िया)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

डिकरी व मुकद्मे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास एम.आर.बागड़िया, आरएएस

मोहन लाल आदि बनाम छीतर आदि

आवेदन अं.आदेश 1 नियम 9 व अं.आदेश 7 नियम 11(घ) सीपीसी

मुकदमानं0 158 / दावा / 12 / आवेदन u/o 1 R 9 9 व 0 u/r 7 R 11 cpc निर्णय दिनांक 30.01.2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू एम.आर. बागड़िया आरएएस बहाजरी श्री आनन्द राड़ वकील मिनजानिब मुददई श्री मूलचन्द धायल मिनजानिब मुद्दालह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, अतः आवेदन अं.आदेश 1 नियम 9 व 7 नियम 11 (घ) सीपीसी के तहत स्वीकार होने से वाद वादीगण खारिज किया जाता है। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

बीज ..... मुबलिग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकद्मे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31जनवरी, 2014 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत

ओहदा

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	4	00	स्टाम्प वकायलतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील पर		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक	3	00			
मीजान	8	00	मीजान	1	00

नोटः इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।